

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

:: विज्ञापन ::

विज्ञापन संख्या एफ 5-9/2021/29-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक | ४ जुलाई 2022

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य पद की रिक्तियों का विवरण

क्रमांक	पदनाम	संर्वग	रिक्त पद संख्या
01.	सदस्य (न्यायिक)	अनारक्षित	01

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के कांडिका क्रमांक 6.6 के प्रावधान के सदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने वाले एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र की प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18.08.2022 कार्यालयीन समय तक होगी।

1. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य (न्यायिक) पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता –

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 3 (2) के अनुसार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदक की अर्हता निम्नानुसार होगी–

- क) आवेदक की न्यूनतम आयु चालीस (40) वर्ष होना चाहिए।
- ब) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

me

(3) राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिये अनर्हता—

कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा यदि वह —

1. ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो, अथवा
2. दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा
3. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वरथ मरिष्टष्ट और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा
4. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा
5. राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों के वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(4) **वेतन-भत्ते—** राज्य आयोग के सदस्य का वेतन भत्ता राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 08. फरवरी 2021 द्वारा अंगीकृत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम-2020 की कंडिका 04 में प्रावधान अनुसार होगा ।

(5) **नियुक्ति की प्रक्रिया:-** छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के कंडिका 6.1 के प्रावधान अनुसार उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के सचिव एवं राज्य के मुख्य सचिव द्वारा नामांकित सदस्य की चयन समिति द्वारा तथा उपरोक्त नियम के कंडिका 6 में निहित प्रावधान अनुसार किया जावेगा ।

(6) **कार्यकाल:-** राज्य आयोग के सदस्य का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे ।

(7) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति से पूर्व छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के कंडिका 6.(12) के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप में शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं कंडिका 6.(13) के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा ।


ml

- (8) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ 500 रु (पांच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के पक्ष में देय हो संलग्न किया जावेगा।
- (9) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर—492001 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दिनांक 18.08.2022 को कार्यालयीन समय तक सीधे प्रेषित किया जायेगा।
- (10) अभ्यर्थी विज्ञापन का विस्तृत विवरण, आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट <http://cgscdrc.cg.nic.in> एवं छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के वेबसाईट <http://khadya.cg.nic.in> प्राप्त कर सकते हैं।
- (11) अभ्यर्थी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहंता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग—पत्र और हटाना) नियम—2020 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते एवं सेवा की शर्तें) माड़ल नियम—2020 के संबंध में विस्तृत विवरण छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर की वेबसाईट <http://cgscdrc.cg.nic.in> से प्राप्त कर सकते हैं।
- (12) आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे।
1. आयु के समर्थन में प्रमाण/अंकसूची।
 2. शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में अंकसूची।
 3. निर्धारित वर्षों के कार्य अनुभव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 4. यदि पूर्व में सेवारत हैं तो अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र; तथा सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
 5. आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को सेवा में होने पर नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 6. निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट।

ml

- (13) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

टीप— उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, अनर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग—पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम 10 के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य का कार्यकाल 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यधीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।



(मनोज कुमार सोनी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्य (न्यायिक) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या एफ

दिनांक.....

- | | |
|--|---|
| <p>1. आवेदित पद का नाम</p> <p>2. अभ्यर्थी का नाम</p> <p>(क) हिन्दी में</p> <p>(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में</p> <p>3. पिता / पति का नाम</p> <p>(क) हिन्दी में.....</p> <p>(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....</p> <p>4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....</p> <p>(ख) विज्ञापन की तिथि को आयु—.....वर्ष.....माह.....दिन</p> <p>5. (क) शैक्षणिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ख) कार्य अनुभव (समुचित प्रमाण पत्र / साक्ष्य सहित)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>6. (क) स्थायी पता</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ख) पत्र व्यवहार का पता.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ग) ईमेल आईडी.....</p> <p>(घ) गृह जिला.....</p> <p>(क) वर्तमान व्यवसाय.....</p> <p>(ख) पूर्व में किसी राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं तो (विवरण)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>अभ्यर्थी अपनी
अद्यतन
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकायें</p> |
|--|---|

अभ्यर्थी अपनी
अद्यतन
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकायें

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित)

8. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)

9.. यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में रहा है अथवा कार्यरत है वह राज्य आयोग में सदस्य (न्यायिक) के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण.

10. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे रायपुर पिन नंबर—492001 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

12.. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

तिथि.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

स्थान.....

अभ्यर्थी का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं.....

घोषणा करता/करती हूँ कि –

(1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ वह मुझे मान्य है और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पाये जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....